प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.09.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा वांछित स्नैचर पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार , अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल , 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद पीली धातु का टुकडा बरामद ।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड का विवरण – आज दिनांक 23/09/2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सेक्टर 01 वसुन्धरा टी- पाईन्ट पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान हिण्डन की तरफ से 01 व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आता दिखाई दिया । मोटरसाईकिल सवार पुलिस पार्टी को चैकिंग करता देख मोटरसाइकिल को पीछे मोडकर भागने लगा । पुलिस पार्टी द्वारा सन्देह होने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया । स्वयं को घिरा देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करता हुआ कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त घायल हुआ । घायल अभियुक्त से नाम पूछने पर अपना नाम आमिर अली उर्फ अमन पुत्र रफीक निवासी चिल्ला गांव मयूर विहार फेस 1 दिल्ली बताया जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया । अभियुक्त उपरोक्त थाना हाजा के मु0अ0सं0 784/2026 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस 3/5/27 आयुध अधि0 का वांछित अभियुक्त है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अपने दोस्त सुहैल के साथ मिलकर चैन स्नैचिंग, मोबाईल स्नैचिंग तथा बाईक चोरी की घटनाएं दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद आदि जगहो पर करता हूं। तथा करीब एक महीने पहले मैने स्नैचिंग की घटना कविनगर थाना क्षेत्र मे की थी । घटनाओ मे जो चैन/मोबाईल मिलता है उसे बेच कर हम अपने खाने पीने व शौक आदि मे खर्च कर देते है।

नाम पता/विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

आमिर अली उर्फ अमन पुत्र रफीक निवासी चिल्ला गांव मयूर विहार फेस 1 दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी

- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (चोरी की)
- 01 अदद पीली धातु की टुकडा थाना कविनगर से सम्बन्धित

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर मे लूट, स्नैचिंग, चोरी ,आर्म्स एक्ट व गैगस्टर एक्ट आदि के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 1 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से एक तंमचा 315 बोर मय 1 जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस, सोने की टिक्की व घटना में प्रयुक्त 1 स्कूटी बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 11.09.2026 को वादिया मुकदमा निवासी आर के पुरम गोविन्दपुरम कमि0 गाजियाबाद द्वारा सफेद स्कूटी सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के गले से सोने का मंगलसूत्र वजन करीब 5 ग्राम को छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी । घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 23.09.2026 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त इमरान मंसूरी उर्फ मक्खी पुत्र स्माईम मंसूरी निवासी लोहिया नगर थाना आदर्श नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा पुलिस फोर्स पर फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त इमरान के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त इमरान को आईडीएल कालेज रोड चौराहा शताब्दीपुरम से गिरफ्तार कर उपचार हेतु चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त इमरान ने पूछने पर बताया कि मैने व मेरे दोस्त सूरज ने मिलकर दिनांक 11-9-2026 को आर के पुरम गोविन्दपुरम से सुबह मे एक महिला का मंगलसुत्र स्नैच किया था। जिसको पिघलाकर यह टिक्की बना ली थी जो मुझसे बरामद है। इससे पहले भी हम दोनों ने मिलकर आरडीसी में अलग- अलग स्थानों से 2 मोबाइल स्नैच किये थे । आज इस सोने की टिक्की को बेचने एवं अन्य घटना कारित करने के लिये निकले थे। उक्त सामान बेचने के बाद जो पैसे मिलते, उन्हे आपस में बराबर बाँट लेते।

अभियुक्त का नाम पता-

1. इमरान मंसूरी उर्फ मक्खी पुत्र स्माईम मंसूरी निवासी लोहिया नगर थाना आदर्श नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

- सोने की टिक्की
- एक तंमचा 315 बोर
- 1 जिन्दा कारतूस
- एक खोखा कारतूस
- 1 स्कूटी होण्डा एक्टीवा सफेद रंग की

आपराधिक इतिहास-

- अभियुक्त इमरान के विरूद्ध कमि0 गाजियाबाद में स्नैचिंग के 3 मुकदमें व वाहन चोरी का 1 मुकदमा पंजीकृत

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 23.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त कासिम पुत्र आबिद निवासी चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना करावल नगर दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है । उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ । मैं दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ और पैसे कमाकर अपने नशे सम्बन्धी शौक पूरे करता हूँ । मैंने यह मोटरसाइकिल कुछ समय पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसे अभी तक छिपा कर रखा था । मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

कासिम पुत्र आबिद निवासी चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व में थाना करावल नगर दिल्ली पर उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में, कब्जे से चोरी का सामान, 02 मोबाइल फोन व 2400 रुपये नगद तथा भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किये गये 04 अन्य मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 23.09.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी श्री योगेश त्यागी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल ज्वैलरी व 2400/- रुपये तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर तत्काल सुसंगत धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.09.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त सलमुद्दीन उर्फ मोना पुत्र बाबू निवासी इकबाल कॉलोनी पसोण्डा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित आर्टिफिशियल ज्वैलरी, 02 मोबाइल फोन व 2400 रुपये नगद तथा 03 आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद हुए तथा दिल्ली के भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी के 04 मोबाइल फोन बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा चोरी के मोबाइल बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड पर धारा 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त व बाल अपचारीगण ने बताया कि ये सामान व 02 मोबाइल फोन हम तीनों ने मिलकर कल रात्रि में ईस्ट डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक मकान से चोरी किये थे। हमसे जो अन्य कीपैड़ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं ये मोबाइल फोन हमने दिल्ली की झुग्गी झौपड़ियो से चोरी किये थे। आज हम तीनों इस सामान को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमुद्दीन उर्फ मोना पुत्र बाबू निवासी इकबाल कॉलोनी पसोण्डा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

02 बाल अपचारी अभिरक्षा में।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित आर्टिफिशियल ज्वैलरी, 02 मोबाइल फोन व 2400 रुपये नगद तथा 03 आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद तथा दिल्ली के भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी के 04 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त सलमुद्दीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रिजवान उर्फ काला पुत्र यामीन निवासी अलीप्रेम गार्डन पसौंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से मौका पाकर चोरी की थी। आज मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था कि पुलिस चोकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिजवान उर्फ काला पुत्र यामीन निवासी अलीप्रेम गार्डन पसौंडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा, एक तमंचा मय 02 कारतूस .315 बोर, एक चाकू व कार बरामद।

आज दिनांक 24.09.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान कोयल एन्कलेव सेल्फी प्वाइंट से पहले से 02 अभियुक्तों 1. यामीन उर्फ आमीन खां पुत्र दीन मोहम्मद निवासी राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम निनामई थाना सासनी जिला हाथरस, उम्र करीब 25 वर्ष 2. मोनिस पुत्र युनुस निवासी कुरेशियान मोहल्ला ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से कार से कुल 02 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा, एक तमंचा मय कारतूस, एक चाकू अवैध व कार बरामद हुआ। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-
अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों अपने साथी सलमान जो कार की ड्राईवर सीट से उतरकर भाग गया है के साथ मिलकर इसी गाडी से चोरी छिपे गांजा बेचते हैं व मोटा मुनाफा कमाते हैं जिसे हम आपस में बांट लेते थे तथा लोगों को डराने धमकाने के लिये अपने पास चाकू और तमंचा रखते हैं। आज हम गांजा बेचने के लिये आये थे और पुलिस ने हमें पकड लिया तथा हमारा साथी सलमान मौका पाकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-
1. यामीन उर्फ आमीन खां पुत्र दीन मोहम्मद निवासी राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम निनामई थाना सासनी जिला हाथरस, उम्र करीब 25 वर्ष
2. मोनिस पुत्र युनुस निवासी कुरेशियान मोहल्ला ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-
सलमान

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 कार,
- 02 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा,
- 01 अवैध तमंचा मय 02 कारतूस .315 बोर,
- 01 चाकू अवैध बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना टीला मोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 24.09.2026 को वादी श्री कार्तिक द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी गयी कि गाड़ी ऑडी कार में सवार राहुल मोहन आदि द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर हमला कर मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राहुल मोहन पुत्र स्व0 कैलाश मोहन निवासी ग्राउंड फ्लोर शक्ति खंड-4 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त ऑडी कार को मौके पर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ अपनी ऑडी गाडी के पास खडा हुआ था तभी कार्तिक खरबन्दा द्वारा मुझे गाडी हटाने को कहा गया मैंने उसे थोडा रुकने को बताया परन्तु वह नहीं माना इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया तथा मेरे द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राहुल मोहन पुत्र स्व0 कैलाश मोहन निवासी ग्राउंड फ्लोर शक्ति खंड-4 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।